

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून विज्ञप्ति

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु सूचना संख्या-1

कृषि विभाग उत्तराखण्ड की विभिन्न अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को वितरित किये जाने वाले निम्न यंत्रों/उपकरणों के ऐसे विनिर्माताओं (**Original manufacturer**) से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि आई0एस0आई0/बी0एस0आई0/**FMTTI**/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड हों, मार्क यंत्रों का निर्माण करते हों अथवा इन यंत्रों को अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से विनिर्मित करते हों। प्रदायकों का पंजीकरण दिनांक 30.6.2014 तक के लिये किया जायेगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें एवं आवेदन पत्र कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 21.5.2013 तक (सायं 5.00 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं। तदनुसार दिनांक 22.5.2013 को सायं 5.00 बजे तक पंजीकरण हेतु कृषि निदेशालय में जमा किये जा सकेंगे। प्रत्येक यंत्र/उपकरण के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र फार्म का शुल्क ₹ 1100/- (रुपये एक हजार एक सौ मात्र) होगा। **पंजीकरण प्रपत्रों को website www.uk.gov.in से भी नियमानुसार Down load किया जा सकता है।**

- 1- वाटर लिफ्टिंग पंप-विद्युत/डीजल/कैरोसीन चालित (1.5 से 7.5 HP तक) जो बी0आई0एस0/आई0एस0आई0 मार्क का हो।
- 2- कृषि रक्षा यंत्रों-मानव चालित तथा ट्रैक्टर एवं शक्ति चालित-कृषि रक्षा यंत्र जो **ISI/BIS** मार्क के हों/**FMTTI** से टेस्टेड हों।
- 3- **Self propelled पावर वीडर/ रोटरी टिलर-राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/ FMTTI से टेस्टेड हों।**
- 4- **Laser land leveler- FMTTI से टेस्टेड हों।**
- 5- ब्रश कटर; **with baffle arrangements** - जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से टेस्टेड हों।
- 6- सिप्रंकलर सैट (**63mm, 75mm, 90mm, 110mm**)- जो बी0आई0एस0/आई0एस0आई0 मार्क का हो।
- 7- एच0डी0डी0पी0ई0 पाइप-पाइप 20 एम0एम0 ब्यास से 140 एम0एम0 ब्यास तक (**Pressure rate upto 6.0 Kg/cm²**)-जो बी0आई0एस0/आई0एस0आई0 मार्क का हो (20 एम0एम0 से 50 एम0एम0 ब्यास तक **Rolled**, 40 एम0एम0 से 140 एम0एम0 ब्यास तक **with coupler**).

ह0/ कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तें एवं नियम

1. सभी विनिर्माता (Original Manufacturer) को विभाग द्वारा पंजीकरण फार्म का मूल्य बिक्री कर सहित ₹ 1100/- (एक हजार एक सौ रूपये मात्र) में उपलब्ध होगा, फार्म कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर प्रातः 11:00 बजे से 5.00 तक दिनांक 21.5.2013 तक प्राप्त किये जा सकेंगे। पंजीकरण फार्म दिनांक 22.5.2013 तक कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर देहरादून के कार्यालय में सायं 5.00 बजे तक अपर सहायक अभियंता के पास जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त सभी पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 23.5.2013 को प्रातः 11.00 बजे कृषि निदेशालय में खोले जायेंगे। पंजीकरण प्रपत्र खोलते समय फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। पंजीकरण फार्म क्रय सम्बन्धी विभागीय रसीद (D-2) फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। लिफाफे के ऊपर “पंजीकरण हेतु यंत्र का नाम” अवश्य अंकित किया जाय।
2. पंजीकरण प्रपत्रों को website www.uk.gov.in से भी नियमानुसार Down load किया जा सकता है। Website से Down load किये गये पंजीकरण प्रपत्र का शुल्क रू0 1100.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पक्ष में क्रय किया गया हो, को पंजीकरण प्रपत्र के साथ Document के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यंत्र के पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. पंजीकृत किये जाने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों को आई0एस0आई0/बी0एस0आई0 मार्क के होंगे तथा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने चाहिए। फर्म को इस आशय का प्रमाण-पत्र पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। पंजीकृत किये जाने वाले यंत्रों का विवरण निम्नानुसार है, जिनके स्पेसिफिकेशन संलग्नक में है।
 1. वाटर लिफ्टिंग पंप-विद्युत/डीजल/कैरोसीन चालित (1.5 से 3.00 HP तक के पंप Mono block तथा Self priming होना आवश्यक है) जो BSI/ISI मार्क का हो।
 2. कृषि रक्षा यंत्र-मानव चालित तथा ट्रैक्टर एवं शक्ति चालित-कृषि रक्षा यंत्र जो BIS/ISI मार्क या FMTTI से टेस्टेड हों। (1) ऐरोब्लास्ट (2) ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर (3) पावर स्प्रेयर (4) फुट स्प्रेयर (5) डस्टर (6) हस्तचालित स्प्रेयर यथा बैक पैक/नैपसैक स्प्रेयर आदि
 3. Self propelled पावर वीडर/रोटरी टिलर-राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI से टेस्टेड हों। 3.5 kw से ऊपर के पावर वीडर/रोटरी टिलर FMTTI से टेस्टेड होना अनिवार्य है।
 4. Laser land leveler-FMTTI से टेस्टेड हों।
 5. ब्रश कटर with baffle arrangements-जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से टेस्टेड हों।
 6. स्पिंकलर सैट (63mm, 75mm, 90mm, 110mm)-जो BIS/ISI मार्क का हो।

7. HDPE Pipe— PE63 or 80.

1— 20 MM ब्यास से 50 MM ब्यास (Rolled) IS 4984-1995 & IS 14151 Part I (PN 2.5 to 6.00 Kg/Sq.cm.)

2— 40 MM ब्यास से 140 MM ब्यास with coupler IS 14151 Part I&II (PN 2.5 to 6.00 Kg/Sq.cm.)

4. कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की विशिष्टियां (Specification) पंजीकरण फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। इस के साथ ही फर्म को कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की क्वालिटी संबंधी प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. पंजीकरण फार्म के साथ कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की वर्तमान दरें संलग्न प्रोफार्मा में अंकित की जाय।
6. पंजीकरण प्रस्ताव केवल मूल विनिर्माता फर्मों (Original Manufacturer) से ही स्वीकार किये जायेंगे।
7. यदि यंत्रों के मूल विनिर्माता देश से बाहर के हैं तथा उनके द्वारा देश में फर्म को **Authorised Dealership** दी गई है, जिससे उक्त फर्म यंत्र को देश में विक्रय कर सकती है। इस आशय का प्रमाण-पत्र, जो कि मूल विनिर्माता के द्वारा दिया गया हो, संबंधित फर्म को पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. प्रदायकों को मुख्य कृषि अधिकारी के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार कृषक/कृषकों को जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु प्रदायकों को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। प्रदायक द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास वाणिज्यिक कर का पंजीकरण एवं विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा होना आवश्यक है। प्रदायकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गयी सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्जे तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करावें। लाभार्थियों को इसके लिये प्राप्त अनुरोध से 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विनिर्माता फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ वर्तमान में जनपदवार उपलब्ध/नियुक्त अधिकृत विक्रेताओं/डीलरों की सूची, जो कि फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो, को संलग्न करना होगा।
9. फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों पर पेन्ट से कृषि विभाग द्वारा अनुदानित वर्ष अंकित किया जायेगा तथा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरण कृषक को उपलब्ध कराते समय कृषक का यंत्र के साथ फोटो खिंचवाना होगा।
10. पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/मूल विनिर्माता फर्म को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छाया प्रति भी फार्म के साथ संलग्न करनी होगी। प्रदायकर्ता को केन्द्रीय व्यापार पंजीकरण/वैट एवं आयकर पैन नं० की छाया प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।
11. पंजीकरण के पश्चात यदि पंजीकृत फर्म द्वारा यदि यंत्र की आपूर्ति में यदि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है एवं विवाद की स्थिति में फर्म को कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।
12. पंजीकरण की वैधता तिथि 30.6.2014 तक होगी। प्रदायकर्ता को पंजीकरण फार्म के साथ प्रत्येक यंत्र हेतु मु० ₹ 25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की बैंक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट/FDR जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम हो तथा किसी राष्ट्रीय बैंक से देय हो, संलग्न करनी होगी।

13. पंजीकरण हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क (Non Refundable) तथा बैंक गारन्टी पृथक-पृथक यंत्रवार देनी होगी :-

पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/ यंत्रों/उपकरणों का विवरण		पंजीयन शुल्क	राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट/FDR लाख ₹ में	गारन्टर बैंक का विवरण जो कि निम्न प्रकार होगा
क्र० सं०	कृषि यंत्र का नाम	1100.00	25000.00	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम से किसी राष्ट्रीय बैंक से देय बैंक गारन्टी
1	वाटर लिफ्टिंग पंप			
2	कृषि रक्षा यंत्र			
3	Self propelled पावर वीडर/रोटरी टिलर— 1. Below 3.5 kw—राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/ FMTTI से टेस्टेड हों। 2. Above 3.5 kw-FMTTI से टेस्टेड हों।			
4	Laser land leveler-FMTTI से टेस्टेड हों।			
5	ब्रश कटर with baffle arrangements			
6	स्प्रिंकलर सैट (63mm, 75mm, 90mm, 110mm)			
7	HDPE Pipe			

14. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज/आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
15. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकृत अथवा समाप्त किया जा सकता है।
16. यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 30.6.2014 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
17. प्रदायकों को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री की 1 वर्ष की गारंटी/वांरंटी भी देनी होगी।
18. प्रदायकों को यंत्र प्रदाय के उपरान्त यंत्र को चलाने और उसके रख-रखाव की तकनीकी जानकारी से कृषकों को सन्तुष्ट करना होगा।
19. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रदाय आदि के बारे में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित प्रदायक का पंजीकरण निरस्त किया जायेगा और ऐसी फर्म को काली सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जायेगा।
20. प्रदायकों को समय-समय पर निदेशालय को समय-समय पर वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित फर्म को पंजीकृत सूची से अलग किया जा सकता है।

21. फर्म द्वारा कृषि यंत्र की प्रस्तुत दर अन्य किसी राज्य में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होनी चाहिए।
22. किसान द्वारा प्रदाय/विक्रेता को पूरी धनराशि देकर यंत्र, मशीनरी, उपकरण क्रय कर लिये जाने के उपरांत कृषि विभाग को मूल क्रय रसीद प्रस्तुत करते हुये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरांत सीधे किसान को एकाउंट पेई बैंक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान का वितरण किया जायेगा। किसान के लिखित अनुरोध पर अनुदान एकाउंट पेई बैंक/बैंक ड्राफ्ट डीलर को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
23. निर्माता फर्म को यह अधिकार होगा कि उनके द्वारा नियुक्त किये गये अधिकृत विक्रेता को परिवर्तन कर सकेंगे, परन्तु ऐसा करते समय निर्माता फर्म को कृषि निदेशालय को तत्काल लिखित में सूचित करना होगा।
24. पंजीकरण प्रमाण पत्र विक्रय परिसर में ऐसी खुली जगह पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जिसे कृषक/सामान्य व्यक्ति आसानी से देख सके।
25. शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तों/नियमों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
26. प्रदाय की गई कोई भी जानकारी कभी भी असत्य पाये जाने की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
27. क्रय किया गया पंजीकरण प्रपत्र किसी अन्य प्रदायकर्ता को न तो विक्रय किया जा सकेगा और न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
28. पंजीकरण प्रपत्र न तो डाक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और न ही डाक द्वारा स्वीकार्य किया जाएगा।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि मशीन/यंत्र/उपकरण के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या.....

दिनांक.....

सील.....

मूल्य 1100 ₹ प्रति फार्म

(975 +125) (ब्रिकी कर सहित)

1. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नाम:—.....
2. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नाम एवं ब्राण्ड यदि कोई हो तो:—(1) ब्राण्ड नेम की बैधता तिथि.....
3. विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नाम:—.....
4. विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फैक्स/फोन नं० आदि सहित:—.....
5. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के मानक स्तर का विवरण:—.....
आई०एस०आई० / बी०आई०एस०
(1) अधिकृत मार्क.....
(2) अधिकृत मार्क की संख्या.....
(3) अधिकृत मार्क की बैधता तिथि.....
(4) टेस्टिंग रिपोर्ट जिसे कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है का विवरण यदि यंत्र/उपकरण पर लागू होता हो.....
6. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के विनिर्माण का विवरण:—
(1)(राज्य उद्योग विभाग, पंजीकरण प्रमाण पत्र).....
(2) फैक्ट्री जहां स्थित है। राज्य/स्थान.....
(3) लाइसेंस संख्या व अन्तिम बैधता तिथि.....
7. यंत्र/उपकरण की सेल्फ लाईप का विवरण.....
8. पंजीयन फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।
अ- विभागीय केश रसीद संख्या- (D-2).....
ब- जमा की गयी धनराशि ₹-.....
9. यंत्र/उपकरण की आपूर्ति का माध्यम/स्रोत:—
(आपूर्ति जिस डिपो से की जायेगी उस डिपो धारक का नाम व डाक पता, फोन एवं फैक्स नं० अंकित करें).....
10. विनिर्माता फर्म का पैन नम्बर—
11. विनिर्माता फर्म केन्द्रीय एक्ससाइज ड्यूटी पंजीकरण संख्या—
12. विनिर्माता फर्म उत्तराखण्ड व्यापार कर पंजीयन संख्या—.....
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. विनिर्माता फर्म केन्द्रीय व्यापार कर पंजीयन संख्या—.....

14. कार्य विनिर्माता फर्म के कार्य क्षेत्र का विवरण :- (1) सम्पूर्ण राज्य/चयनित जनपद (चयनित जिला हो तो उल्लेख किया जाये).....
15. वितरको को राज्य के जिलों में स्थापित नेटवर्क (अधिकृत विक्रेताओं की सूची जो यंत्र विक्रय के उपरान्त सेवा प्रदान करेंगे उनके सेल्स टैक्स के पंजीयन क्रमांक आदि संलग्न किया जाये.....
16. बैंक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट हेतु नामित बैंक का विवरण:-
 (1) बैंक का नाम.....(2) शाखा.....(3) प्रदत्त बैंक गारन्टी ₹.....
17. क्या विनिर्माता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है "हां " और "नहीं" में उल्लेख किया जाये (10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय).....
18. क्या विनिर्माता फर्म के विरुद्ध किसी केन्द्र शासित प्रदेश/प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....
- नोट:- 1. प्रत्येक बिन्दु से संबन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त कम में ही संलग्न की जायें।
 2. प्रत्येक कृषि यंत्र/उपकरण हेतु अलग-अलग तकनीकी प्रपत्र भरा जाएगा।

निर्धारित पंजीयन हेतु शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्तें भली-भाँति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ।

विनिर्माता फर्म/प्रदायकर्ता/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....

पूर्ण पता.....

.....

फोन नम्बर.....

फैक्स नम्बर.....

सील.....

Technical Specification of Pump

Sl.No	Particulars	B.H.P.Detail/Capacity				
1	Rated B.H.P					
2	Category					
3	Make & Model, No. Of pump Set					
4	ISI/BIS specification (attach certificate)					
	a) Pump					
	b)Engine					
5	Bore x Stroke (mmxmm)					
6	No. of cylinder					
7	Rated Speed (rpm)					
8	Gross Wt. of pumpset					
9	Max. Discharge(LPM)					
10	Suction Head(m)					
11	Max. total Head (m)					
12	Discharge at Max. Head (LPM)					
13	Suction x delivery (mm x mm)					
14	Fuel Consumption (gm/KW-hr)					
15	Fuel tank capacity (litre)					
	a) Kerosene					
	b) Petrol					
	c) Diesel					
16	Cooling system					
17	Self priming					
18	Ignition System					
Note: Performance curve of each capacity and other details should be enclosed with Tender Form.						

वित्तीय प्रपत्र

फर्म का नाम व पूरा पता	पम्प की क्षमता (HP) तथा प्रकार	सक्शन तथा डिलिवरी पाइप का आकार मिमी × मिमी	मैक / माडल	कुल हैड (मी० में)	बेसिक मूल्य रू०	एक्साइज ड्यूटी रू०	सी०एस०टी १० रू०	उत्तरांचल ट्रेड टैक्स/वैट रू०	दर प्रति पम्प रू० (6+7+8+9) का योग	बाजार मूल्य दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

Technical Specification of Laser Land Leveller

Laser Source-	> 600 nm	<u>Bucket Scrapper-</u>
Battery Life-	minimum 55 hr	Height- > 2.0 ft
Operating Range-	Over 800 meters	Width- > 6.0 ft
Effective-	Over 1000 meters	Thickness- 10mm/8mm(iron sheet)
Laser Accuracy-	10 arc seconds (1.5 mm at 30m)	Depth- > 1.5 ft
Laser Rotation Speed-	minimum 300 rpm	No. of wheels- Two
Source of power-	45 hp & above	

1- लेजर लैण्ड लैवलर FMTTI से टेस्टेड हों।

वित्तीय प्रपत्र

क्र० सं०	फर्म का नाम व पूरा पता	मशीन/यंत्र का प्रकार	मेक माडल	प्रतिदिन कार्य क्षमता	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	बेसिक मूल्य रू०	एक्साइज ड्यूटी रू०	सी०ए स० टी० रू०	उत्तरांचल ट्रेड टैक्स/वैट रू०	दर प्रति यंत्र रू० (7+8+9 +10) का योग	बाजार मूल्य दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

कृषि रक्षा यंत्र का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन

पंजीकरण होने वाले कृषि यंत्रों के नाम—

1. ऐरोब्लास्ट
2. ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर
3. पावर स्प्रेयर
4. फुट स्प्रेयर
5. हस्तचलित स्प्रेयर यथा बैक पैक / नैपसैक स्प्रेयर आदि
6. डस्टर

नोट— पंजीकरण प्रपत्र के साथ कृषि यंत्रों की विशिष्टियां अवश्य सलंगन की जायें।

वित्तीय प्रपत्र

क्र० सं०	फर्म का नाम व पूरा पता	मशीन/ यंत्र का प्रकार	मेक माडल	प्रतिदिन कार्य क्षमता	यंत्रवार स्पेसिफिकेशन	बेसिक मूल्य रू०	एक्साइज ड्यूटी रू०	सी०एस०टी० रू०	उत्तरांचल ट्रेड टैक्स/वैट रू०	दर प्रति यंत्र रू० (7+8+9+10) का योग	बाजार मूल्य दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रदायकर्ता/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

Technical Specification of Power Weeder/Rotary Tiller

Type - Self propelled
Engine - Diesel/Petrol operated
Capacity - Above 0.5 ha/day

2- पावर वीडर/रोटरी टिलर below 3.5 kw—राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/ FMTTI से टेस्टेड हों।

3- पावर वीडर/रोटरी टिलर above 3.5 kw-FMTTI से टेस्टेड हों।

वित्तीय प्रपत्र

क्र० सं०	फर्म का नाम व पूरा पता	मशीन/यंत्र का प्रकार	मेक माडल	प्रतिदिन कार्य क्षमता	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	बेसिक मूल्य रू०	एक्साइज ड्यूटी रू०	सी०ए स० टी० रू०	उत्तरांचल ट्रेड टैक्स/वैट रू०	दर प्रति यंत्र रू० (7+8+9 +10) का योग	बाजार मूल्य दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

Technical Specification of Brush Cutter with Baffle Arrangement (for harvesting crop)

Engine -	2 Stroke/air cooled
Harvesting Efficiency -	Minimum 1 acre/8 hr
RPO -	Minimum 6000 rpm
Power -	Minimum 1.75 HP
Length -	Minimum 1200mm
Weight -	Not more than 10 Kg

अन्य स्पेसिफिकेशन भी सलंगन किये जायें।

वित्तीय प्रपत्र

क्र० सं०	फर्म का नाम व पूरा पता	मशीन/ यंत्र का नाम	मेक माडल	प्रतिदिन कार्य क्षमता	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	बेसिक मूल्य ₹	एक्साइज ड्यूटी ₹	सी०एस० टी० ₹	उत्तरांचल ट्रेड टैक्स/वैट ₹	दर प्रति यंत्र ₹ (7+8+9 +10) का योग	बाजार मूल्य दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

Technical Specification of Sprinkler(ISI,ISO,BIScertified)

Sl. No	Particulars	Detail
1	Make & Model, No. Of Sprinkler Set	
2	Power Source Requirements to Operate Sprinkler Set (hp)	
3	Main Line a) Manufacture's name b) Outside diameter (mm) c) Inner diameter (mm) d) Length of Pipe (m) e) Thickness of pipe (mm) f) Class of pipe g)Type & Material of Pipe	
4	Lateral Line a) Manufacture's name b) Outside diameter (mm) c) Inner diameter (mm) d) Length of Pipe (m) e) Thickness of pipe (mm) f) Class of pipe g)Type and Material of Pipe	
5	Riser a) Type b) Material of Pipe c) Height of Pipe	
6	Band 90⁰ a) Type and Material of Pipe	
7	T-With Coupler a) Type and Material	
8	Reducer a) Type and Material of Pipe	
9	End Plug a) Type and Material	
10	Pipe Connecting Nipple or Coupler a) Type and Material	
11	Nozzle (a) Type (b) Material (c) Diameter of Nozzle	
12	Sprinkler Discharge (lit/sec)	
13	Diameter of Coverage (m)	
14	Range of Sprinkler Spacing (Square)(m²)	
15	Recommend Speed of rotation (rpm)	
17	Adaptability	

वित्तीय प्रपत्र भाग-1

क्र० सं०	फर्म का नाम व पूरा पता	बौछार यंत्र (Sprinkler Set)	दर प्रति सेट							एम०आर०पी० / प्रति सेट	वर्षिक उत्पादन क्षमता
			बेसिक मूल्य ₹	एक्साइज ड्यूटी ₹	योग (4+5)	सी०एस० टी० ₹	उत्तरांचल ट्रेड टैक्स/वैट ₹	वैट	यूनिट कास्ट (6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अ - 63 मि०मी० सेट का मूल्य 1-आधा हे० क्षेत्र सिंचन के लिये - 2-एक हे० क्षेत्र सिंचन के लिये - ब - 75 मि०मी० सेट का मूल्य 1-आधा हे० क्षेत्र सिंचन के लिये - 2-एक हे० क्षेत्र सिंचन के लिये - स - 90 मि०मी० सेट का मूल्य 1-एक हे० क्षेत्र सिंचन के लिये (75 मि०मी० लेटरल पाइप के साथ)- 2-एक हे० क्षेत्र सिंचन के लिये (90 मि०मी० लेटरल पाइप के साथ) - द-110 मि०मी० सेट का मूल्य 1-एक हे० क्षेत्र सिंचन के लिये (110 मि०मी० लेटरल पाइप के साथ)-										

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

वित्तीय प्रपत्र भाग-2

0.50 हेक्टेयर तथा 1.0 हैक्टेयर (63 मि०मी०) 0.50 हेक्टेयर तथा 1.0 हैक्टेयर (75 मि०मी०) तथा 1.0 हेक्टेयर (90 मि०मी० पाईप) स्प्रिंकलर सेट की प्रति यूनिट में प्रयुक्त अवयवों की संख्या एवं दर का विवरण

क्र० सं०	एक स्प्रिंकलर सेट के अवयव जो आपूर्ति की जायेगी	63 मि०मी० व्यास वाले सेट				75 मि०मी० व्यास वाले सेट				90 मि०मी० व्यास वाले सेट (75 मि०मी० लेटरल के साथ)			90 मि०मी० व्यास वाले सेट(90 मि०मी० लेटरल के साथ)			110 मि०मी० व्यास वाले सेट(110 मि०मी० लेटरल के साथ)				
		दर	1/2 आधा है० हेतु		1 (एक) है० हेतु		दर	1/2 आधा है० हेतु		1 (एक) है० हेतु		1 (एक) है० हेतु			1 (एक) है० हेतु					
			संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	दर	संख्या	मूल्य	दर	संख्या	मूल्य	दर	संख्या	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	110 मि०मी० व्यास की मुख्य लाईन																		12	
2	110 मि०मी० व्यास की लेटरल लाईन																		18	
3	90 मि०मी० व्यास की मुख्य लाईन													12		12				
4	90 मि०मी० व्यास की लेटरल लाईन															18				
5	75 मि०मी० व्यास की मुख्य लाईन							12		12										
6	75 मि०मी० व्यास की लेटरल लाईन									14				18						
7	63 मि०मी० व्यास की मुख्य लाईन		12		12			12												
8	63 मि०मी० व्यास की लेटरल लाईन		8		14			8												
9	पम्प कनेक्टिंग निपुल		1		1			1		1				1		1			1	
10	90 अंश वेण्ड कपलर सहित		1		1			1		1				1		1			1	
11	टी कपलर सहित		1		1			1		1				1		1			1	
12	इण्ड फ्लग 63मि०मी० / 75मि०मी० / 90मि०मी० / 110 मि०मी०		2		2			2		2				2		2			2	
13	स्प्रिंकलर कपलर विथ वैटन 63मि०मी० / 75 मि०मी० / 90मि०मी० / 110मि०मी०		4		7			4		7				9		9			9	
14	राइजर पाईप (जी०आई०)		4		7			4		7				9		9			9	
15	स्प्रिंकलर नोजन (पीतल)		4		7			4		7				9		9			9	
16	90 मि०मी० से 75 मि०मी० एम०एच०डी०पी०ई० रिड्यूसर													2						
17	अन्य																			

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता

फोन न०.....

फैक्स न०.....

एच0डी0पी0ई0 पाइप का विवरण एवं विशिष्टियां

- पंजीकृत किये जाने वाले एच0डी0पी0ई0 पाइप का विवरण – PE63 or 80.
 1– 20 MM ब्यास से 50 MM ब्यास (Rolled) IS 4984-1995 & IS 14151 Part I (PN 2.5 to 6.00 Kg/Sq.cm.)
 2– 40 MM ब्यास से 140 MM ब्यास with coupler IS 14151 Part I&II (PN 2.5 to 6.00 Kg/Sq.cm.)

वित्तीय प्रपत्र

IS:4984-1995 (PE-63/PE-80)

Sl. No.	Pipe Size	PN (Pressure Rate)	Rate/Meter				
			Basic /Primary Cost Rs.	Excise Duty Rs.	CST Rs.	UA Trade Tax/VAT Rs.	Total Cost/Meter Rs. (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

IS:14151 Part I & II-1995

Sl. No.	Pipe Size	PN (Pressure Rate)	Rate/Meter				
			Basic /Primary Cost Rs.	Excise Duty Rs.	CST Rs.	UA Trade Tax/VAT Rs.	Total Cost/Meter Rs. (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							